

**संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तीय सहायता**

3245. श्री लालजी भाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं अथवा अन्य परि-योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिये इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी अनेक एजसियों द्वारा वित्तीय अथवा अन्य प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है ; अथवा और

(ख) उसका व्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखदी जाएगी ।

**Steps to Check Smuggling of Drugs on Indo-Nepal Border**

3247. SHRI DRONAMRAJU SATYA-NARAYANA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) in view of the vulnerability of the Indo-Nepal border for drug trafficking, what steps Government are proposing to curb the smuggling effectively; and

(b) whether the said smuggling which is increasing day by day in volume has resulted in shooting up the number of addicts particularly in eastern region of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) In order to curb smuggling on Indo-Nepal border, the preventive staff has been augmented and re-deployed more effectively. New preventive check-posts have been created and located near the border. Intelligence set-up has been suitably strengthened. In order to provide quick and secret means of communication, wireless network has been sanctioned for the entire border and is likely to be set up shortly. Besides,

the anti-smuggling measures including patrolling of vulnerable land routes and exercising greater vigilance along the border, have been reinforced.

(b) Although Indo-Nepal border continues to be vulnerable, reports received do not indicate any spurt in smuggling of Narcotic drugs resulting in increase of the number of addicts in the eastern region of the country.

**स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा**

3248. श्री छुबिराय अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सीधी भर्ती और पदोन्नतियों के माध्यम से आरक्षित कोटा भर लिया गया है ;

(ख) उक्त बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की श्रेणीवार प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये विभागीय पदोन्नतियों में आरक्षण किया गया है और यदि हां, तो इन जातियों के उन कम चारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है जिन्हें पदोन्नत किया गया है ;

(घ) क्या इस बारे में परिपत्र जारी किये जाने के बावजूद विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण पदोन्नतियों के लिये आरक्षित कोटा नहीं भरा गया है और यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सीधी भर्ती और पदोन्नतियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आर-